

Seen
18.12.2014
नि.उ. सद. सद. सद.
को.को.को.

18.12.2014
212 सद. सद. सद.
212 सद. सद. सद.

उत्पाद प्रपत्र संख्या- I B

विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) भण्डारण एवं बिक्री के लिए थोक अनुज्ञप्ति जिसके तहत कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति हो।

(केवल झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०, राँची के लिए)

जिला का नाम- बोकारो।

रजिस्टर सं०-..... में लाईसेंस सं०-1/2013-14

लाईसेंस की तारीख-30.08.2013

अनुज्ञाधारी का नाम-झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

लाईसेंस अवधि 30.08.2013 से 31.03.2014 तक चालू

बिक्री गोदाम का स्थान-प्लॉट संख्या-2661, खाता सं०-238, मौजा-काशी झरिया,

थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो।

चौहद्दी-

वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस-12,00,000.00 (बारह लाख) रुपये

अग्रिम रूप में भुगतान रु०-12,00,000.00 (बारह लाख) रुपये

विदित हो कि सर्वश्री झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि० को जिला के उपायुक्त दिनांक 30.08.2013 से 31 मार्च, 2014 तक पेय विदेशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं, ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को इसकी आपूर्ति हो सके।

1- इस लाईसेंस के चालू रहने की शर्त के रूप में लाईसेंसधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाईसेंसों पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा।

2- झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को जिला के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्ति के लिए अग्रिम के रूप में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रु० 12,00,000.00 (बारह लाख) रुपये का भुगतान करेगा। वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार/उप कोषागार में करेगा।

3—(क) अनुज्ञाधारी किसी भी खुदरा बिक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(ख) अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अमिश्रित सादा स्पिरिट या परिशोधित स्पिरिट नहीं बेचेगा।

4— अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्यपान नहीं करने देगा।

5— अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन 25 डिग्री यू0पी0 शक्ति से कम शक्ति का व्हिस्की, ब्राण्डी, वोदका, रम एवं जीन का बिक्री नहीं करेगा।

6— अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अनुमोदित परिसर के अलावे कहीं और बिक्री हेतु विदेशी शराब/बीयर संचय नहीं करेगा वशर्ते कि इसके लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गयी हो।

7— अनुज्ञाधारी विदेशी शराब/बीयर उधार नहीं बेचेगा/एवं थोक बिक्री हेतु इसका पर्याप्त स्कन्ध बनाये रखेगा।

8— अनुज्ञाधारी मदिरा एवं उसके लेबुल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा जिसकी भण्डारण की गई हो।

9— अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में विदेशी शराब/बीयर के स्कन्ध एवं बिक्री का पूरा ब्यौरा प्रतिदिन लेखा पंजी में अंकित करेगा। समय-समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच की जा सकेगी।

10— अनुज्ञाधारी किसी को भी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा निर्गत पास के बिना मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

11— अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा के पेटियों को ब्राण्डवार इस प्रकार संग्रहित करेगा कि उसे निरीक्षण के समय सत्यापन में सहूलियत हो।

12— अनुज्ञाधारी किसी भी ब्राण्ड की सात पेटी से अधिक पेटियों को एक के उपर एक नहीं रखेगा।

13— अनुज्ञाधारी की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा सकेगा।

✓

14- अनुज्ञाधारी गोदाम के कार्य करनेवाले प्रबन्धन एवं कार्य करनेवाले अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची आयुक्त उत्पाद को देना सुनिश्चित करेगा।

15- अनुज्ञाधारी समय-समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत सामान्य तथा विशेष निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

16- अनुज्ञाधारी उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली का अनुपालन करेगा तथा उससे आबद्ध रहेगा।

17- अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

18- अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुषक दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

टिप्पणी :- उपर लिखित किन्हीं शर्तों या उत्पाद शुल्क लाईसेंसो पर लागू सामान्य शर्तों का उल्लंघन होने पर यह लाईसेंस जप्त कर दिया जायेगा और लाईसेंसधारी विधि या नियम द्वारा विहित सभी या किन्हीं दण्ड का भागी होगा।



20/8/13
उपायुक्त
बोकारो।
20/8/13

प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची द्वारा प्राधिकृत गोदाम मैनेजर/विक्रेताओं की सूची

जिला	नाम	पिता का नाम	उम्र	स्थायी पता	गोदाम मैनेजर/विक्रेता का हस्ताक्षर	लाईसेंसधारी/अनुज्ञाधारी के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उपानुवृत्त, कोशारी के संपिन्ना आदेश
दिनांक- 30/3/2014 के आदेश में विनियम
वर्ष 2014-15 के लिए अनुवृत्ति नवीकृत।

बोकारो

उपायुक्त, कोशिकों के संपिन्न आदेश
दिनांक- 01/4/2015 के आलोक में विनियम
वर्ष 2015-16 के लिए अनुसूचि नवोदय

बोकारो

उपाध्यक्ष, कोचारी के संविधानादेश
दिनांक- 03/4/2016 के आदेश में विचार
वर्ष 2016-17 के लिए अनुमति नवीकृत।

बोकारो



उत्पाद प्रपत्र-27 ड

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत बोकारो जिला में देशी / मसालेदार देशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति

(केवल झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०, राँची के लिए)

इसके द्वारा झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है, को बोकारो जिला की देशी शराब / मसालेदार देशी शराब / कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों को देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-20 के उपबन्धों एवं इसमें आगे बताई गई शर्तों के अधीन उपायुक्त के द्वारा दिनांक-01.10.2013 से 31.03.2014 के लिए निम्नांकित शर्तों के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, यथा -

शर्तें

- 1- इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी।
- 2- अनुज्ञाधारी झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनाई गई नियम से जहाँ तक उनका उनसे संबंध हो आबद्ध रहेगा।
- 3- अनुज्ञाधारी जिस जला के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु निर्धारित देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की थोक बिक्री के पूर्व जिला के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रू० 2/- प्रति एल०पी०लीटर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त अग्रिम जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्ति होती है तो न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक की गयी आपूर्ति की मात्रा पर उपरोक्त दर से थोक अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।
- 4- जिस जिला के लिए झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास के जरिए विनिर्माणशाला से झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में देशी शराब / मसालेदार देशी शराब का परिवहन किया जायेगा।
- 5- इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की बिक्री केवल उन्हीं व्यक्तियों / अनुज्ञप्ति प्राप्त खुदरा विक्रेताओं के साथ की जाएगी जो जिले के अधीक्षक उत्पाद / सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा हस्ताक्षरित पारक प्रस्तुत करेंगे।
- 6- इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब / मसालेदार देशी शराब का संचय एवं बिक्री के लिए मदिरा का निर्गमण प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अनुज्ञाधारी उनकी सहायता के लिए प्रत्येक थोक गोदाम में अपना प्रतिनिधि / कर्मचारी रखेगा, जहाँ से खुदरा अनुज्ञाधारियों को निर्धारित दर पर देशी शराब / मसालेदार देशी शराब का निर्गमण जिला उत्पाद कार्यालय से निर्गत पारक के आधार पर किया जाएगा।

7- देशी शराब /मसालेदार देशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रय किये गये शराब के मूल्य की राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को किया जाएगा तथा प्राप्त राशि के बदले झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी।

8- इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची जानेवाली देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की शक्ति वही होगी जैसा कि राजस्व पर्षद, झारखण्ड समय-समय पर नियत करें।

9- अनुज्ञाधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर न्यूनतम 15 दिनों का स्कन्ध हमेशा रखा जाएगा। विशेष परिस्थिति में इस संबंध में विचलन आयुक्त उत्पाद के आदेश से ही सम्भव होगा। जब कभी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम स्कन्ध हो तब अनुज्ञाधारी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुरूप स्कन्ध शीघ्र पूरा कर देगा। यदि अनुज्ञाधारी जिला के भण्डागार के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी से ऐसा करने के लिए सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर ऐसा नहीं करता है तो वह ऐसे दण्ड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा ठीक समझा जाएगा।

10- अनुज्ञाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद अनुज्ञप्ति पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठा पूर्वक पालन करेगा।

11- अनुज्ञाधारी आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जानेवाले सभी सामान्य एवं विशेष आदेश से आबद्ध रहेगा।

12- अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री का लेखा-जोखा अलग-अलग रखेगा एवं खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

13- अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्यपान की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

14- अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

15- अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

16- अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

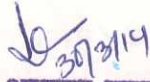
17- अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।



उपायुक्त,
बोकारो।
29/8/13

L/N.O. 02/27(5)/बोकारो/2014-15

उपायुक्त, बोकारो के संपिछा आदेश
दिनांक- 30/3/2014 के आलोक में
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए
अनुमति नवीकृत।



सहायक आयुक्त उत्पाद

बोकारो

30/3/2014

L/N.O.- 01/27(5)/बोकारो/2015-16.

उपायुक्त, बोकारो के संपिछा
आदेश दिनांक- 01/4/2015 के आलोक में
वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुमति
नवीकृत।



सहायक आयुक्त उत्पाद

बोकारो

1/4/2015

L/N.O.- 01/27(5)/बोकारो/2016-17.

उपायुक्त, बोकारो के संपिछा आदेश
दिनांक- 03/4/2016 के आलोक में वित्तीय
वर्ष- 2016-17 के लिए अनुमति नवीकृत।



सहायक आयुक्त उत्पाद

बोकारो

3/4/2016

